



2025:AHC:165592

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 34388 of 2025

Ravindra Singh

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P. and Another

.....Opposite
Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Raj Kumar Sharma
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 75

HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Sri Raj Kumar Sharma, learned counsel for the applicant as well as Sri Vikas Sharma, learned State Law Officer for the State.

2. This is an application under Section 528 of BNSS preferred by the applicant for quashing the entire proceeding in Case Number 314 of 2019 (*Udayveer Singh Vs Ravindra Singh and others*) under Sections 138 Negotiable Instrument Act at Police Station Gandhi Park, District-Aligarh, pending before the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, District - Aligarh.

3. The case of the applicant is that the applicant had earlier approached twice. Firstly, Application u/s 482 No. 19265 of 2024, Ravindra Singh vs. State of U.P. in which on 31.07.2024, the following orders were passed:-

"1. Heard Sri Raj Kumar Sharma, learned counsel for the applicant and Sri Brijesh Kumar Dwivedi, learned AGA for the State.

2. The instant application under Section 482 Cr.P.C. has been filed with the following prayer:

"1. Quash the entire proceeding in Case Number 314 of 2019 (Udayveer Singh Vs Ravindra Singh and others) under Section 138 Negotiable Instrument Act (hereinafter referred to as the 'N.I. Act') at Police Station Gandhi Park, District Aligarh, pending before the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, District - Aligarh,

II. Quash the order dated 22.04.2024 passed by the aforesaid Court upon an application moved by the Opposite Party No. 2 under Section 143 A Negotiable

Instrument Act in the aforesaid case,

III. It is further prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to stay the proceeding of Case Number 314 of 2019 (Udayveer Singh Vs Ravindra Singh and others) under Sections 138 Negotiable Instrument Act at Police Station District Aligarh, pending before Gandhi Park, the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, District - Aligarh."

3. Learned counsel for the applicant at the outset submits that he does not want to press prayer no.1 and 3 at this stage and he is pressing only prayer no.2 with regard to the validity of the order dated 22.04.2024 whereby the applicant was directed to pay 20% of the cheque amount as compensation to the opposite party no. 2. Learned counsel for the applicant has relied upon the judgment of Apex Court in Rakesh Ranjan Shrivastava vs. State of Jharkhand and another), 2024 (4) SCC 419. The relevant portion of the aforesaid judgment reads as under, which is a guiding factor to the Magistrate concerned for passing the orders under Section 143-A of the N.I. Act:

"22. When the court deals with an application under Section 143-A of the NI Act, the court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application under sub-section (1) of Section 143-A. The presumption under Section 139 of the NI Act, by itself, is no ground to direct the payment of interim compensation. The reason is that the presumption is rebuttable. The question of applying the presumption will arise at the trial. Only if the complainant makes out a prima facie case, a direction can be issued to pay interim compensation. At this stage, the fact that the accused is in financial distress can also be a consideration.

23. Even if the court concludes that a case is made out for grant of interim compensation, the court will have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted. Even at this stage, the court will have to consider various factors such as the nature of the transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant and the paying capacity of the accused. If the defence of the accused is found to be prima facie a plausible defence, the court may exercise discretion in refusing to grant interim compensation.

24. We may note that the factors required to be considered, which we have set out above, are not exhaustive. There could be several other factors in the facts of a given case, such as, the pendency of a civil suit, etc. While deciding the prayer made under Section 143-A, the Court must record brief reasons indicating consideration of all the relevant factors.

27. Subject to what is held earlier, the main conclusions can be summarised as follows:

27.1. The exercise of power under sub-section (1) of Section 143-A is discretionary. The provision is directory and not mandatory. The word "may" used in the provision cannot be construed as "shall".

27.2. While deciding the prayer made under Section 143-A, the court must record brief reasons indicating consideration of all relevant factors.

27.3. The broad parameters for exercising the discretion under Section 143-A are as follows:

27.3.1. The court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application. The financial distress of the accused can also be a consideration.

27.3.2. A direction to pay interim compensation can be issued, only if the complainant makes out a prima facie case.

27.3.3. If the defence of the accused is found to be prima facie plausible, the court may exercise discretion in refusing to grant interim compensation.

27.3.4. If the court concludes that a case is made out to grant interim compensation, it will also have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted. While doing so, the court will have to consider several factors such as the nature of the transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant, etc."

4. In view of the aforesaid guidelines issued, learned counsel for the applicant submits that the trial court must record the reasons and must deal with different factors as has been described above in the aforesaid judgment before passing the order under Section 143-A of the N.I. Act. He further submits that the aforesaid order since is not in compliance with the aforesaid judgment of the Apex Court, is liable to be set aside by this Court. The order dated 22.04.2024 passed by the Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, Aligarh reads as under:

"Case called out. Complainant and accused are present before the court with their Ld. Counsel.

Ld. Counsel for complainant has moved an application u/s 143? NI Act seeking a direction against the accused to pay 20 percent of the cheque amount as compensation.

On the other hand, accused has opposed such application by way of filing their objection. Accused has also presented copy of bills and bank statements of his firm.

Heard the arguments of both the Ld. Counsels for the complainant and the accused and perused the records.

Cause is sufficient. Application filed by the complainant u/s 143A NI Act is hereby allowed. Consequently, accused is hereby directed to pay 20 percent of the cheque amount to the complainant as interim compensation within 60 days from the date of this order.

Put up on 28-05-2024 for cross examination."

5. From perusal of the aforesaid order, it is crystal clear that the aforesaid order passed by the Additional Chief Judicial Magistrate is not in compliance of the guidelines issued by the Apex Court in the judgment of Rakesh Ranjan Shrivastava (supra).

6. In view thereof, this Court without issuing notice to the opposite party no.2 as the same will further delay the proceedings of the complaint case, set aside the order dated 22.04.2024 with a direction to the trial court to pass a fresh order in accordance with the directions issued by the Apex Court keeping all factors into consideration as directed by the Apex Court.

7. With the aforesaid direction, the instant application under Section 482 Cr.P.C. is disposed of. "

4. Thereafter, post remand, another order came to be passed under Section 143-A on 11.02.2025, which was subject matter of challenge in Application u/s 528 of BNSS No.9074 of 2025, Ravindra Singh vs. State of U.P, in which on 08.05.2025, the following orders were passed:-

"1. Heard Shri Raj Kumar Sharma, learned counsel for the applicant and Sri Moti Lal, learned AGA for the State.

2. This application under Section 482 Cr.PC. has been filed by the applicant to quash the entire proceedings of in Case No. 314 of 2019 (Udayveer Singh Vs Ravindra Singh and others) under Sections 138 Negotiable Instrument Act at Police Station Gandhi Park, District- Aligarh, pending before the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, District - Aligarh as well as order dated 11.02.2025 passed by the aforesaid Court upon an application moved by the Opposite Party No. 2 under Section 143 A Negotiable Instrument Act.

3. Learned counsel for the applicant submits that a complaint stood lodged by the opposite party no. 2 regarding dishonouring of a cheque of an amount of Rs. 6,73,982/- pursuant to which on 07.12.2019, the applicant was summoned under

Section 138 of the N.I. Act thereafter an application under Section 143A of the N.I. Act stood preferred by the opposite party no. 2 which came to be decided in favour of the complainant by the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, District - Aligarh on 22.04.2024.

4. Questioning the said order, the applicant preferred the application U/S 482 No. 19265 of 2024 (Ravindra Singh v. State of U.P. and another) in which on 31.07.2024, the following orders have been passed:

"1. Heard Sri Raj Kumar Sharma, learned counsel for the applicant and Sri Brijesh Kumar Dwivedi, learned AGA for the State.

2. The instant application under Section 482 Cr.P.C. has been filed with the following prayer:

"1. Quash the entire proceeding in Case Number 314 of 2019 (Udayveer Singh Vs Ravindra Singh and others) under Section 138 Negotiable Instrument Act (hereinafter referred to as the 'N.I. Act') at Police Station Gandhi Park, District Aligarh, pending before the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, District - Aligarh,

II. Quash the order dated 22.04.2024 passed by the aforesaid Court upon an application moved by the Opposite Party No. 2 under Section 143 A Negotiable Instrument Act in the aforesaid case,

III. It is further prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to stay the proceeding of Case Number 314 of 2019 (Udayveer Singh Vs Ravindra Singh and others) under Sections 138 Negotiable Instrument Act at Police Station District Aligarh, pending before Gandhi Park, the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, District - Aligarh."

3. Learned counsel for the applicant at the outset submits that he does not want to press prayer no.1 and 3 at this stage and he is pressing only prayer no.2 with regard to the validity of the order dated 22.04.2024 whereby the applicant was directed to pay 20% of the cheque amount as compensation to the opposite party no. 2. Learned counsel for the applicant has relied upon the judgment of Apex Court in Rakesh Ranjan Shrivastava vs. State of Jharkhand and another), 2024 (4) SCC 419. The relevant portion of the aforesaid judgment reads as under, which is a guiding factor to the Magistrate concerned for passing the orders under Section 143-A of the N.I. Act:

"22. When the court deals with an application under Section 143-A of the NI Act, the court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the

application under sub-section (1) of Section 143-A. The presumption under Section 139 of the NI Act, by itself, is no ground to direct the payment of interim compensation. The reason is that the presumption is rebuttable. The question of applying the presumption will arise at the trial. Only if the complainant makes out a prima facie case, a direction can be issued to pay interim compensation. At this stage, the fact that the accused is in financial distress can also be a consideration.

23. Even if the court concludes that a case is made out for grant of interim compensation, the court will have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted. Even at this stage, the court will have to consider various factors such as the nature of the transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant and the paying capacity of the accused. If the defence of the accused is found to be prima facie a plausible defence, the court may exercise discretion in refusing to grant interim compensation.

24. We may note that the factors required to be considered, which we have set out above, are not exhaustive. There could be several other factors in the facts of a given case, such as, the pendency of a civil suit, etc. While deciding the prayer made under Section 143-A, the Court must record brief reasons indicating consideration of all the relevant factors.

27. Subject to what is held earlier, the main conclusions can be summarised as follows:

27.1. The exercise of power under sub-section (1) of Section 143-A is discretionary. The provision is directory and not mandatory. The word "may" used in the provision cannot be construed as "shall".

27.2. While deciding the prayer made under Section 143-A, the court must record brief reasons indicating consideration of all relevant factors.

27.3. The broad parameters for exercising the discretion under Section 143-A are as follows:

27.3.1. The court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application. The financial distress of the accused can also be a consideration.

27.3.2. A direction to pay interim compensation can be issued, only if the complainant makes out a prima facie case.

27.3.3. If the defence of the accused is found to be prima facie plausible, the court may exercise discretion in refusing to grant interim compensation.

27.3.4. If the court concludes that a case is made out to grant interim compensation, it

will also have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted. While doing so, the court will have to consider several factors such as the nature of the transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant, etc."

4. In view of the aforesaid guidelines issued, learned counsel for the applicant submits that the trial court must record the reasons and must deal with different factors as has been described above in the aforesaid judgment before passing the order under Section 143-A of the N.I. Act. He further submits that the aforesaid order since is not in compliance with the aforesaid judgment of the Apex Court, is liable to be set aside by this Court. The order dated 22.04.2024 passed by the Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, Aligarh reads as under:

"Case called out. Complainant and accused are present before the court with their Ld. Counsel.

Ld. Counsel for complainant has moved an application u/s 143? NI Act seeking a direction against the accused to pay 20 percent of the cheque amount as compensation.

On the other hand, accused has opposed such application by way of filing their objection. Accused has also presented copy of bills and bank statements of his firm.

Heard the arguments of both the Ld. Counsels for the complainant and the accused and perused the records.

Cause is sufficient. Application filed by the complainant u/s 143A NI Act is hereby allowed. Consequently, accused is hereby directed to pay 20 percent of the cheque amount to the complainant as interim compensation within 60 days from the date of this order.

Put up on 28-05-2024 for cross examination."

5. From perusal of the aforesaid order, it is crystal clear that the aforesaid order passed by the Additional Chief Judicial Magistrate is not in compliance of the guidelines issued by the Apex Court in the judgment of Rakesh Ranjan Shrivastava (supra).

6. In view thereof, this Court without issuing notice to the opposite party no.2 as the same will further delay the proceedings of the complaint case, set aside the order dated 22.04.2024 with a direction to the trial court to pass a fresh order in accordance with the directions issued by the Apex Court keeping all factors into consideration as directed by the Apex Court.

7. With the aforesaid direction, the instant application under Section 482 Cr.P.C. is

disposed of."

5. *Post remand, now the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 04, District - Aligarh in Case No. 314 of 2019 (Udayveer Singh Vs Ravindra Singh and others) has proceeded to pass the order dated 11.02.2025 granting 20% compensation under Section 143A of the Act in favour of the complainant/ opposite party no. 2.*

6. *Assailing the said order, the applicant has filed the present application.*

7. *Learned counsel for the applicant has submitted that for the second time, the same infirmity has crept in the order impugned, particularly, in view of the fact that earlier when the order dated 22.04.2024 was passed then the same was set aside by the court while remanding the matter back on the ground that the said order not passed as per the mandate in the case of Rakesh Ranjan Srivastava v. State of Jharkand and another; [2024] 3 S.C.R. 438. However, he submits that a perusal of the order impugned herein would also reveal that there has been no consideration over the criteria which have been mandated by the Hon'ble Apex Court, according to which, the proceedings under Section 143A of the N.I. Act is to be decided. He thus submits that the summoning order be set aside and the matter be remitted back to Court below to pass fresh orders.*

8. *Shri Moti Lal, learned AGA submits that though it is the second round of litigation wherein the order under Section 143A of the Act is being subject matter of challenge but according to him, the order does not consider the ingredients and the para meters according to which the application under Section 143A of the N.I. Act is to be decided. He submits that the summoning order be set aside and the matter be remitted back to Court below to pass fresh orders.*

9. *Having bestowed the consideration over the facts of the case as well as after analyzing the law laid down in the said case by the Hon'ble Apex Court in the case of Rakesh Ranjan Srivastava (supra) and applying the same in the present facts of the case, it is clear that the order which has been subject matter of challenge and impugned in the present application does not confirm to the criteria as enunciated by the Hon'ble Apex Court in the above noted decision.*

10. *Though the court below has recited the case of the parties but the considerations are not there with regard to the prima facie case of the complainant as well as the quantum of the compensation while considering the nature of the transaction, relationship of the parties and financial distress of the accused.*

11. *Since the broad para-meters are missing in the order in question thus this Court in exercise of its inherent powers is set aside the order dated 11.02.2025 passed in Case*

No. 314 of 2019 (Udayveer Singh Vs Ravindra Singh and others) without issuing the notice to the opposite party no. 2.

12. The matter stands remitted back to pass fresh order strictly in accordance with the mandate of the Hon'ble Apex Court as directed vide order dated 31.07.2024 passed in application U/S 482 No. 19265 of 2024.

13. For facilitating early disposal, the party shall furnish the certified copy of the order before the court below by 23.05.2025 and the court below shall proceed to decide the said proceeding with most expedition.

14. Learned counsel for the applicant in his usual fairness submits that as per the instructions from his client, the applicant shall not take adjournment in any manner whatsoever.

15. Accordingly, the application stands disposed of."

5. Now post remand, an order has been passed on 07.08.2025 by the Court of ACJM Court no.1, Aligarh in Complainat Case No.314 of 2019.

6. Questioning the said order, present application has been filed.

7. Learned counsel for the applicant has submitted that the order dated 07.08.2025 according interim compensation to the O.P. No.2 under Section 143-A of the N.I. Act to the tune of 20% cannot be sustained, particularly when for the third time, the same mistake has been committed by the court below by not considering the mandate of the Hon'ble Apex Court in the case of **Rakesh Ranjan Srivastava v. State of Jharkand and another: (2024) 3 S.C.R. 438**. Submission is that criteria have been enumerated by the Hon'ble Apex Court in the judgment which is to be followed as a magna carta and the Court while according interim compensation under Section 143A of the NI Act cannot dilute the same. Submission is that though in order to show that the order appears to be longish though headings have been made with regard to (a) prima facie case, (b) amount of compensation, (c) nature of transaction (d) relationship between the parties and (e) financial distress, however, the finding so recorded by the court below while according interim compensation under the parameter of financial distress is not correct as the issues relatable to the same has been conveniently avoided. Submission is that in the parameters under financial distress, though the applicant in his objection which is at page-50 of the paper-book, relevant

extract at page-52 and 53, sufficient documents have already been annexed being the copy of the cash book of the applicant showing the fact that the applicant is not in a condition to pay the compensation after closing of the agency and the applicant is doing private job and having very meager salary but the court below has accorded interim compensation to the tune of 20% without considering the true aspect of the matter relatable to the financial distress of the applicant. Submission is that the court below has been swayed on the ground that there had been no documents annexed thereto. He further submits that though the court below has taken into account the relationship between the parties, nature of the transaction, but the quantum has not been correctly decided.

8. Learned State Law Officer on the other hand submits that whatever might be, it is not for the court below to assume and presume a fact which is not in existence, as the court below has to form a tentative opinion regarding the fact whether there happens to be financial distress and the entire onus is upon the accused to plead and substantiate the fact that he suffers from financial distress so as to make the things worst for him to make the payment of 20% of the interim compensation.

9. I have heard the submissions so made across the Bar and perused the records carefully.

10. The order dated 07.08.2025 according interim compensation to the tune of 20% under Section 143-A of the N.I. Act is quoted herein:-

"दिनांक-07.08.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आदेशार्थ नियत है। विगत तिथि पर पक्षकार अधिवक्ता को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-528 बी०एन०एस०एस० संख्या -9074/2025 रवेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित-08.05.2025 के परिप्रेक्ष्य में चुना जा चुका है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित-11.02.2025 को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा -482 द०प्र०सं० संख्या-19265/2024 रवेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 31.07.2024 के परिप्रेक्ष्य में आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में पुनः आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली एवम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-482 द०प्र०सं० संख्या-19265/2024 रवेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित-31.07.2024 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-528 बी०एन०एस०एस० संख्या-9074/2025 रवेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित-08.05.2025 का ससम्मान अवलोकन किया।

परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-143क एन०आई० एक्ट दिनांकित-04.04.2022 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी द्वारा उक्त वाद वर्ष 2019 में दायर किया तथा उक्त याद में बमुश्किल विपक्षी दो वर्ष बाद न्यायालय में हाजिर हुआ है तथा निकट भविष्य में भी विपक्षी उक्त वाद को टालना चाहेगा। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया है। वादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। उपरोक्त कथन करते हुए चैक धनराशि का 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा दिलाये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध वादी द्वारा अपना जवाब दिनांकित 12.05.2022 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विपक्षी ने वादी से उसकी ट्रेक्टर एजेन्सी से ट्रेक्टर लेने से पूर्व एक रिक्त चैक सिक्योरिटी के रूप में बतौर अमानत दिया था तथा दिनांक-12.08.2016 दिनांक-28.03.2017 तक 12 ट्रेक्टर विभिन्न तिथियों में लिये थे तथा भुगतान समय-समय पर राशि अन्तरण व नकद दी जाती रही है। वादी का विपक्षी पर कोई धनराशि बकाया नहीं है। वादी मनमाने ढंग से ब्याज जोड़कर गलत तथ्यों, पर धन के लालच में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। इसी प्रकार वादी ने तीन ट्रेक्टर की बिलिंग इन्वाइसों में दिनांक-20.10.2016 को दर्शित कर उन पर ब्याज दो माह पूर्व से दिनांक-20.08.2016 से शुरू कर दी। इसी प्रकार दिनांक-10.01.2017 व 12.01.2017 को ट्रेक्टर भेजना दर्शित किया है तथा उन पर ब्याज दिनांक-27.10.2016 व 30.10.2016 से जोड़ना प्रारम्भ कर दिया है तथा दिनांक -17.02.2017 को 2 ट्रेक्टर भेजना दर्शित कर उनपर ब्याज जोड़कर दर्शायी गयी है। इसी प्रकार 14.04.2017 को दो ट्रेक्टर भेजना दर्शाकर उन पर ब्याज दिनांक-27.03.2017 को भेजना दर्शाकर बढ़ा चढ़ाकर देनदारी ब्याज दर्शायी गयी है। इसी प्रकार फर्जी दिनांकों में ट्रेक्टर दर्शाकर गलत मनमाने तरीके से गलत ब्याज जोड़कर बकाया धनराशि दिखाकर वादी के पास बतौर सिक्योरिटी अमानती चैक को अपनी मर्जी से धनराशि भरकर उस पर चैक का गलत उपयोग वादी द्वारा किया गया है। वादी का विपक्षी पर कोई धनराशि बकाया नहीं है। वादी केवल धन के लालच में चैक में उसके द्वारा भरी गयी धनराशि का 20 प्रतिशत लेने के लालच में उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में सही तथ्यों को छिपाकर प्रेषित कर रहा है जो कि पोषणीय नहीं है। उपरोक्त कथन करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की पाचना की गयी है।

परिवादी की ओर से प्रतिउत्तर शपथ पत्र दिनांकित-08.06.2022 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवादी शपथकर्ता मैसर्स उदय ऑटोमोबाइल्स का स्वामी/प्रोपराइटर है। परिवादी द्वारा दिनांक 25.03.2019 को यह परिवाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 07.01.2020 में पैरवी के उपरान्त भी विपक्षी हाजिर अदालत नहीं हुआ तथा दिनांक 07.02.2020 में विपक्षी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट एन.बी डब्ल्यू. किया गया तथा विपक्षी द्वारा पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से होने के बावजूद भी बमुश्किल दिनांक 04.1.2022 को न्यायालय में हाजिर हुआ। विपक्षी उक्त प्रकरण के सभी तथ्यों से वाकिफ था तथा केस के पड़ने/दायर होने से पूर्व ही सभी कानूनी दावपेंचों से वाकिफ था। विपक्षी द्वारा सभी तथ्यों को छिपाया गया है तथा श्रीमान न्यायालय के समक्ष मेलाफाइट इन्टेशन के साथ हाजिर हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र भी उसी बदनीयती के साथ प्रस्तुत किया गया है। परिवादी/शपथकर्ता के पत्रांक दिनांक 20.06.2016 MKT/HO/120 ट्रेक्टर कम्पनी Indo Farm Equipment Ltd. मै० उदय ऑटोमोबाइल का प्रोपराइटर/संचालक को ट्रेक्टरस विक्रय हेतु स्टोकिस्ट नियुक्त किया गया तथा सम्पूर्ण अधिकार पत्रांक द्वारा प्रोपराइटर को दिये गये तथा कम्पनी द्वारा ही आप विपक्षी को उक्त Indo Farm Equipment Ltd. द्वारा ट्रेक्टरस खरीदने हेतु डीलर भी नियुक्त किया गया। शपथकर्ता/परिवादी, विपक्षी उक्त ट्रेक्टर के क्रमशः स्टोकिस्ट व डीलर हुए तथा दोनों पक्ष सभी कानूनों से वाकिफ थे। शपथकर्ता/परिवादी व विपक्षी के मध्य दिनांक 06.08.2016 से ट्रेक्टरस की खरीददारी करना शुरूआत हुई तथा दिनांक 06.08.2016 से दिनांक 28.03.2017 तक लगातार Indo Farm Equipment Ltd. ट्रेक्टर एजेन्सी के कुल 12 ट्रेक्टरस को आप विपक्षी डीलर द्वारा शपथकर्ता स्टोकिस्ट से खरीदा गया तथा इस दौरान प्रारम्भ से ही आप विपक्षी द्वारा ट्रेक्टर स्पेयर पार्ट्स को स्टोकिस्ट शपथकर्ता से लगातार खरीदते रहे तथा किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ तथा Indo Farm Equipment Ltd. कम्पनी के सभी नियमों के मुताबिक खरीददारी माय दस्तावेजों के साथ लगातार जारी रही। शपथकर्ता द्वारा जारी लेजर एकाउन्ट स्टेटमेन्ट दिनांक 06.08.2016 से दिनांक 23.02.2017 मुवलिंग 62,86,883.00-45,73,000.00 की बावत आप विपक्षी द्वारा रिसीव्ड प्राप्त कर हस्ताक्षर किये गये तथा यह क्रम जारी रहा तथा कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ तथा पुनः दिनांक 31.03.2017 क्लोजिंग बेलेंस मुवलिंग 76,51,164-76,51,164.00 आप विपक्षी द्वारा हस्ताक्षर कर प्राप्त भी किया गया तथा यह कारोबारी रिश्ता जारी रहा तथा पुनः दिनांक 06.09.2017 को क्लोजिंग बेलेंस मुवलिंग 23,17,717.00 को भी आप द्वारा

हस्ताक्षर कर प्राप्त किया गया तथा किसी भी प्रकार के कोई आपसी मतभेद उत्पन्न नहीं हुए क्योंकि आप कम्पनी के सभी कानूनी प्रावधानों से वाकिफ थे। पूर्व की भांति शपथकर्ता के द्वारा जारी एकाउन्ट लेजर दिनांक 31.12.2018 मुवलिग 13,25,519.00-6,25,519.00 भी आप द्वारा प्राप्त किया गया तथा आप वाकिफ थे तथा इस दौरान विपक्षी पूर्व की भांति ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स को भी प्राप्त करते रहे तथा उक्त स्पेयर पार्ट्स में भी आप विपक्षी पर दिनांक 14.11.2018 में मुवलिग 48,463.00 बकाया हुए जो उक्त उसकी आप विपक्षी को पूर्ण जानकारी थी तथा इस प्रकार आप विपक्षी पर कुल 6,73,982.00 उधार (बकाया) पेमेन्ट है, जिस बावत आप विपक्षी ने आश्वासन दिया व लेनदारी को पूर्ण रूप से अदा करने हेतु बैंक संख्या-476024 दिनांक 18.01.2019 मुवलिग 6,73,982.00 स्वयं हस्ताक्षर कर दिया गया। शपथकर्ता का आप विपक्षी पर मुवलिग 6,73,982.00 रूपया दिनांक 18.01.2019 तक बकाया था तथा आप द्वारा यह कहना कि पूर्ण पेमेन्ट किया गया है पूर्णतः गलत है शपथकर्ता द्वारा किसी भी विधिक तथ्यों को छिपाया नहीं गया है तथा जो भी तथ्य बकाया धनराशि की बावत शपथकर्ता द्वारा परिवाद ने प्रस्तुत किये गये हैं यह सही है। शपथकर्ता द्वारा प्रथम दिनांक 06.08.2016 से लगातार अन्तिम दि. 28.03.2017 तक (बावत ट्रैक्टरर्स) बारहवां ट्रैक्टर की डिलीवरी चालान ट्रैक्टर के साथ ही दिये गये तथा डिलीवरी चालान दिनांक से ही आप डीलर/विपक्षी को हैंड ओवर ट्रैक्टरर्स को कर दिया गया तथा आप विपक्षी पर उक्त चालानी दिनांक से जिम्मेदारी आ जाती है। शपथकर्ता द्वारा ट्रैक्टरर्स डिलीवरी के साथ ही आप विपक्षी के दायित्व शुरू हो जाते हैं जिससे आप विपक्षी वाकिफ थे। ट्रैक्टरर्स की बावत इनवोइस भी जारी किये गये परन्तु उक्त इनवोइस को बतौर साक्ष्य/पेमेन्ट बकाया की बावत रोक कर बाद में भी दिये जाते थे। (यदि शपथकर्ता सब कुछ डिलीवरी चाला, ट्रैक्टर व मय इनवाइस के आप विपक्षी के सुपुर्द कर देता तो उसके पास बतौर साक्ष्य वास्ते पेमेन्ट बकाया हेतु क्या बचेगा) इस प्रकार शपथकर्ता द्वारा जो बकाया पेमेन्ट पर अथवा डिलीवरी चालान की दिनांक से ही कम्पनी के प्रावधानों के मुताबिक ही ब्या का लेजर अकाउंट तैयार किया गया है, जिस लेजर अकाउंट से आप प्रारम्भ से ही वाकिफ थे। साथ ही आप विपक्षी द्वारा यह भी वर्णित किया गया कि इनवाइस से ब्याज नहीं लगायी, परन्तु चालानी डिलीवरी दिनांक से लगायी तो आप द्वारा यह वास्तविक तथ्य जो छिपाया गया है तथा हमेशा से ही डिलीवरी चालान दिनांक से ही पेमेंट की शुरुआत होती है तथा लेजर अकाउंट तैयार किया गया है। इस प्रकार शपथकर्ता द्वारा जो ट्रैक्टरर्स का लेजर अकाउंट तैयार किया गया है वह सही ब्याज के साथ है तथा शपथकर्ता द्वारा जो बैंक धनराशि वर्णित की गई है वह पूर्णतः सही व सटीक है तथा आप विपक्षी की नीयत में खोट आ गया है तथा आप द्वारा शपथकर्ता को धनराशि को अदा नहीं किया गया। शपथकर्ता द्वारा ब्याज का निर्धारण एजपर डायरेक्शन आफ द कम्पनी के रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन के तहत ही तैयार किया गया जो दस्तावेजी रिकार्ड है परन्तु आप द्वारा दाखिल वर्णित पेमेन्ट ट्रान्सफर उदय ऑटो लिस्ट पूर्णतः सही नहीं है तथा असल तथ्यों को छिपाकर तैयार की गयी है, जो पूर्णतः सही नहीं है। शपथकर्ता/परिवादी द्वारा दाखिल अनैक्चर 1 लगायत 14 से क्रमशः Indo Farm Equipment Ltd. दिनांक 20.06.2016 व लेजर एकाउन्ट दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2018 की छायाप्रति व लेजर एकाउन्ट दिनांक 01.04.2018 से 14.01.2018 की छायाप्रति से विपक्षी एकाउन्ट स्टेटस का रिकॉर्ड दाखिल किया गया है, जो कम्पनी द्वारा वर्णित कानूनों के तहत ही तैयार किया गया है व सही है। शपथकर्ता द्वारा कुछ भी बकाया धनराशि की बावत छिपाया नहीं गया, बल्कि आप विपक्षी द्वारा नोटिस जबाब के पैरा-8 में बकाया पेमेन्ट की बावत भी कहा, परन्तु उक्त वर्णित धनराशि सही है, परन्तु सब कुछ जानते हुए भी आप द्वारा समय से भुगतान नहीं किया गया और बैंक का अनादर किया गया बैंक ट्रैक्टर के बकाया व ट्रैक्टरर्स स्पेयर पार्ट्स के बकाया बन की बावत आप विपक्षी द्वारा दिया गया। इस प्रकार शपथकर्ता/परिवादी को बकाया ट्रैक्टरर्स पेमेन्ट की कुल बैंक धनराशि मुवलिग 6,73,982.00 रुपये की बावत आप विपक्षी को प्रारम्भ से जानकारी थी तथा आप विपक्षी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के परे जाकर सिर्फ मनगढ़न्त कहानी प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी दशा में पोषणीय नहीं है तथा पढ़े जाने योग्य नहीं है तथा वादी का वाद प्रथम दृष्टया है तथा प्रार्थी का प्रार्थना, पत्र बावत 20 प्रतिशत धनराशि हेतु अन्तर्गत धारा 143A एन०आई० एक्ट प्रथम दृष्टया है तथा पोषणीय है तथा स्वीकार किये जाने योग्य है। तथा प्रार्थी/शपथकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। जवाब प्रतिउत्तर शपथपत्र विपक्षी रवेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक-21.09.2022 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/विपक्षी वादी उदयवीर को वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक ट्रैक्टर लेते समय सम्पूर्ण भुगतान कर चुका है। वादी उदयवीर इसी दौरान दिनांक 05.09.2016 से दिनांक-03.12.2018 तक भुगतान किये जाने के उपरान्त भी ब्याज विभिन्न दिनाकों में लगातार उसे दर्शाता रहा है। वर्ष 2018 के उपरान्त अब बतौर सिक्योरिटी रावा ब्लैंक बैंक पर उक्त धनराशि को भरकर उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय में तथ्यों को

छुपाकर प्रस्तुत कर अब अन्तर्गत धारा 143-ए एन०आई० एक्ट का झूठा प्रार्थना पत्र 20 प्रतिशत धनराशि लेने हेतु प्रस्तुत कर रहा है, जबकि उसकी कोई धनराशि बकाया नहीं है। प्रार्थी ने जब भी वादी उदयवीर से अपने फॉर्म का ट्रैक्टर मंगाया है, तो नियमानुसार उस पर सारे खर्चे जोड़कर तथा ट्रैक्टर से प्रार्थी का कमीशन काटकर बुगतान किया जाता रहा है, तो अब उसकी धनराशि कैसे बकाया रह गयी। वादी बतौर सिक्योरिटी रखे ब्लैंक चेक का गलत उपयोग कर रहा है, जोकि गैर कानूनी है। वादी का अन्तर्गत धारा 143ए एन० आई० एक्ट का प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है, खारिज होने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा विपक्षी के विरुद्ध एन.आई.एक्ट की धारा-138 के तहत मु-6,73,982/- रुपये के चेक की धनराशि की बावत संस्थित किया गया है जिस पर न्यायालय के आदेश दिनांकित-07.12.2019 द्वारा विपक्षी रवेन्द्र सिंह को धारा-138 एन.आई.एक्ट के विचारण हेतु तलब किया गया है। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित आया तथा उसके द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-251 दं०प्र०सं० दिनांक 04.04.2022 को अंकित किया गया है। उसके उपरान्त परिवादी की ओर से चेक में वर्णित धनराशि 20 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में धारा 143 क एन०आई०एक्ट का अवलोकन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जो यह अवधारित करती है कि न्यायालय पत्रावली में बयान मुलजिम विरचित करने के उपरान्त अंतरिम प्रतिकर के रूप में 20 प्रतिशत तक चेक की धनराशि परिवादी को विपक्षी से प्रदान किये जाने हेतु आदेशित कर सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित-08.05.2025 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था *Rakesh Ranjan Srivastava V. State of Jharkhand and another;* (2024) 3 S.C.R. 438 में दिये गये दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में आदेश में पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त सम्मानित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा-निर्देशों का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में धारा-143ए के अन्तर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्न व्यापक मानदंड दिये गये हैं, जो निम्न प्रकार है:-

- (i) न्यायालय को प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले के गुण-दोष और आवेदन के उत्तर में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के गुण-दोष का मूल्यांकन करना होगा। अभियुक्त की आर्थिक तंगी को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
- (ii) अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश तभी जारी किया जा सकता है, जब शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाता है।
- (iii) यदि अभियुक्त का बचाव प्रथम दृष्टया विश्वसनीय पाया जाता है, तो न्यायालय अंतरिम मुआवजा देने से इंकार करने में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- (iv) यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अंतरिम मुआवजा देने का मामला बनता है, तो उसे दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजे की राशि पर भी विचार करना होगा। ऐसा करते समय, न्यायालय को कई कारकों पर विचार करना होगा जैसे कि लेन-देन की प्रकृति, अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच संबंध, यदि कोई हो, आदि।
- (v) किसी दिए गए मामले के विशिष्ट तथ्यों में कई अन्य प्रासंगिक कारक हो सकते हैं, जिन्हें पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता। ऊपर बताए गए मानदंड संपूर्ण नहीं हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए निम्न तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

परिवाद का प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case)

इस प्रकार वादपत्र, चेक, बैंक मेमो व नोटिस आदि का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने वैधानिक अवधि के भीतर प्रश्नगत चेक प्रस्तुत किया, जिसके अनादरण की स्थिति में विपक्षी को विधि अनुसार नोटिस जारी किया है। परिवादी द्वारा धारा 138 N.I. Act की समस्त आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूर्ण की गयी हैं। इस प्रकार परिवादी का मामला प्रथम दृष्टया रूप से विधिसम्मत एवं स्वीकार्य प्रतीत होता है। जहां तक विपक्षी का कथन कि परिवादी ने मनमाने तरीके से गलत ब्याज जोड़कर बकाया धनराशि दिखाकर परिवादी के पास बतौर सिक्योरिटी अमानती चेक को अपनी मर्जी से धनराशि भरकर उस पर चेक का गलत उपयोग परिवादी द्वारा किया गया है। विपक्षी द्वारा स्वयं धारा-251 दं०प्र०सं० के तहत दिए गए बयान में चेक दिए जाने की बात स्वीकार की गई है।

चैक विपक्षी द्वारा हस्ताक्षरित है तथा निर्दिष्ट तिथि (18.01.2019) तथा धनराशि ₹6,73,982/- रुपये स्पष्ट रूप से अंकित है। विपक्षी का सिर्फ यह कह देना कि चैक सिक्क्योरिटी हेतु था, पर्याप्त नहीं है, जब तक कि इस कथन के समर्थन में कोई लिखित में ठोस साक्ष्य जैसे कि समझौता पत्र, रसीद, या लिखित अनुबंध न हो। विपक्षी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा कोई दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि चैक सिर्फ अमानती था और उसमें मनमाने ढंग से राशि भरी गई। यदि ऐसा होता, तो विपक्षी द्वारा बैंक को भुगतान रुकवाने के लिए सूचना देनी चाहिए थी, किंतु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त विपक्षी ने यह तर्क लिया है कि चैक पर हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। चैक में वर्णित राशि और हस्ताक्षर एक ही पेन से किए गए प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, परंतु अभियुक्त ने इसे लेकर कोई विशेष आपत्ति या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त विपक्षी का कहना है कि उक्त चैक केवल सुरक्षा के लिए दिया गया था, और उस पर की गई राशि भरना मनमाने ढंग से किया गया, परन्तु विपक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि चैक केवल अमानत (security) के रूप में दिया था। साथ ही विपक्षी ने यह भी तर्क नहीं लिये गये हैं कि चैक पर किए गए हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। वादपत्र, चैक, बैंक मेमो व नोटिस आदि का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने वैधानिक अवधि के भीतर प्रश्नगत चैक प्रस्तुत किया, जिसके अनादरण की स्थिति में विपक्षी को विधि अनुसार नोटिस जारी किया है। परिवादी द्वारा धारा 138 N.I. Act की समस्त आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूर्ण की गयी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला धारा-138 के तहत बनता प्रतीत होता है।

प्रतिपूर्ति की राशि (Amount of Compensation)

चूंकि चैक ₹6,73,982/- की राशि का है, अतः धारा 143A के तहत, अभियुक्त को इस राशि का 20 अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया जाना न्यायोचित होगा, जो ₹1,34,796.40/- रुपये होता है। प्रस्तुत आवेदन मात्र अंतरिम मुआवजा आदेश हेतु है, जो कि न तो अन्तिम निर्णय है, न ही दोषसिद्धि का आधार। यदि अन्ततः अभियुक्त दोषमुक्त होता है तो उसे एन. आई. एक्ट की धारा 143-ए के अन्तर्गत भुगतान की गयी राशि की वापसी का अधिकार रहेगा।

लेन-देन का स भाव (Nature of Transaction)

परिवादी व विपक्षी के मध्य व्यवसायिक लेन-देन रहा है, जिसमें ट्रैक्टरों की खरीद व विक्रय किया गया। विपक्षी स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसने ट्रैक्टर परिवादी की एजेंसी से लिए थे और उसी लेन-देन की प्रक्रिया में यह चैक दिया गया था। विपक्षी का यह कहना कि उक्त चैक केवल सुरक्षा के लिए दिया गया था, और उस पर की गई राशि भरना मनमाने ढंग से किया गया, परन्तु विपक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि चैक केवल अमानत (security) के रूप में दिया था। साथ ही विपक्षी ने यह भी नहीं दर्शाया कि चैक पर किये गये हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि चैक पर राशि मनमाने तरीके से भरी गयी हो अतः लेन-देन पूर्णतः व्यवसायिक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसमें भुगतान का दायित्व स्पष्ट रूप से बनता है।

पक्षकारों के बीच संबंध (Relationship Between Parties)

पक्षकारों के मध्य पूर्व से व्यापारिक संबंध रहे हैं। विपक्षी द्वारा बार-बार परिवादी से ट्रैक्टर क्रय किया जाना यह सिद्ध करता है कि आपसी विश्वास के आधार पर लेन-देन होता रहा है, परंतु जब कोई चेक दिया जाता है, और वह बाउंस होता है, तो आपसी विश्वास की शर्त टूट जाती है। ऐसे में, परिवादी को अंतरिम प्रतिपूर्ति मिलना न्यायोचित है।

अभियुक्त की वित्तीय कठिनाई (Financial Distress):

विपक्षी द्वारा अपने जवाब/शपथपत्र में कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया कि उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है अथवा वह भुगतान करने में पूर्णतः अक्षम है। केवल इतना कह देना कि वह चैक सिक्क्योरिटी था अथवा धनराशि बकाया नहीं है, यह धारा-143A में प्रतिपूर्ति न देने का पर्याप्त आधार नहीं है।

विपक्षी द्वारा यह भी नहीं दर्शाया गया कि वह आर्थिक रूप से इतना असमर्थ है कि ₹6,73,982/- की 20% राशि का अंतरिम भुगतान नहीं कर सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Rakesh Ranjan Srivastava V. State of Jharkhand and another; (2024) 3 S.C.R. 438** में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा-143A एन०आई०एक्ट के अंतर्गत मुआवज़ा आदेश देने से पूर्व अभियुक्त की आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाना आवश्यक है, परंतु यदि अभियुक्त इस

विषय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तो आदेश देने में बाधा नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त विधि व्यवस्था में यह भी अवधारित किया है कि अभियुक्त यदि यह दावा करता है कि वह उक्त 20% की राशि का भुगतान नहीं कर सकता तो उसे अपनी आर्थिक असमर्थता का यथोचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो न्यायालय मुआवजा आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

अभियुक्त द्वारा अपनी आर्थिक असमर्थता के सम्बन्ध में यथोचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अभियुक्त ने यह नहीं दर्शाया कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह 20% राशि का भुगतान नहीं कर सकता। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह दर्शित हो कि वह आर्थिक रूप से अक्षम है। वहीं दूसरी ओर, परिवादी द्वारा चेक, बैंक रिटर्न मेमो, विधिक नोटिस तथा परिवाद के माध्यम से धारा-138 के तथ्यों को *prima facie* सिद्ध किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों एवम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***Rakesh Ranjan Srivastava V. State of Jharkhand and another; (2024) 3 S.C.R. 438*** में प्रतिपादित सिद्धान्त एवम मामले के समस्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में परिवादी को प्रश्नगत धनराशि ₹6,73,982/- रुपये में से 20 प्रतिशत अन्तरिम प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवम परिस्थितियों के आधार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 क एन.आई. एक्ट स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को चैक अनादरण धनराशि का 20 प्रतिशत अन्तरिम प्रतिकर के रूप में आदेश की दिनांक से 60 दिन के अन्दर प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे। विपक्षी की ओर से दाखिल आपत्ति तदानुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते दिनांक -29.08.2025 को पेश हो।"

11. A close reading of the order dated 07.08.2025 according interim compensation to the tune of 20% under Section 143-A of the N.I. Act would reveal that the Court had referred to several factors being amount of compensation, nature of transaction, relationship of parties, financial distress and prima facie case and with regard to the fact of financial distress, the Court had opined that the documents which have been submitted before the Court below along with the said objection were not sufficient so as to enable the court below to form a tentative opinion that there happened to be financial distress so as to denude the Opposite Party to make the payment of interim compensation to the tune of 20%. As a matter of fact, the court in the proceedings under Section 143-A of N.I. Act is not to record a definite finding regarding the financial distress and the status, but an over all pragmatic view is to be taken which is to be arrived on the basis of the document available on record.

12. Apparently, in the objection in para-10, cash book of the applicant has been referred in para-11 and 12, it has been asserted that the agency has been closed and the applicant is doing a private job. However, in the opinion of the Court, once the Magistrate has applied its mind and has come to a conclusion that there were no exceptional circumstances to show that there was financial distress, so as not to create a ground for the applicant to make the said payment, this Court is not required to delve into the said issue further. Moreover, before this Court also, there are no convincing documents available on record. Even otherwise the Court finds that the nature of the transaction and the relation of the parties has also dealt with in extenso.

13. Accordingly, interference is declined. The application stands **rejected**.

September 17, 2025

N.S.Rathour

(Vikas Budhwar,J.)